GYANODAY

COLLEGE OF EDUCATION, JANJGIR

Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

(केशरी शिक्षण समिति, जांजगीर द्वारा संचालित संस्था)

विवरणिका

ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर

* राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् दिल्ली से मान्यता प्राप्त.
* छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर से अनुमति प्राप्त.
* अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्धता प्राप्त.

डॉ. सुरेश यादव

Ph.D. (Edu.), M.Phil, M.Ed., M.Sc. (Phy.)

संचालक

ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर

मो. 94252 30437, 95891 20437, 93293 10437

E-mail : sureshyadavsky27@gmail.com

बी.एड. (द्विवर्षीय)

(100 सीट)

Think Positive, Work Positive, Get Positive ...

हमारे प्रेरणा स्रोत

स्व. केशरीराम यादव

ऐसे शिक्षक जो शिक्षा के अभ्युत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे

GYANODAY

COLLEGE OF EDUCATION, JANJGIR

जिला : जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

(केशरी शिक्षण समिति जांजगीर द्वारा संचालित संस्था)

* **NCTE** दिल्ली के द्वारा व राज्य शासन से अनुमति प्राप्त एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्था.
* **B.Ed.** (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम की 100 सीट सहशिक्षा हेतु अनुमति प्राप्त.
* रेल्वे स्टेशन नैला से 1 कि.मी., बस स्टेण्ड से 2 कि.मी. तथा चांपा जक्शन से 8 कि.मी. दूर.

डॉ. सुरेश यादव
Ph.D. (Edu.), M.Phil, M.Ed., M.Sc. (Phy.)
संचालक
ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर
M. 94252 30437, 95891 20437, 93293 10437
E-mail : sureshyadavsky27@gmail.com

Think Positive, Work Positive, Get Positive ....

ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर (छ.ग.)

एक परिचय

गिरि-उपत्यकाओं और कल-कल निनादिनी सरिताओं से वेष्ठित, वन्य प्रान्तरों की हरीतिमा से आच्छादित, खनिज सम्पदाओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ की शस्य-श्यामला भूमि के जांजगीर-चांपा जिला के अंतर्गत महाराजा जाज्वल्यदेव की नगरी जांजगीर में अवस्थित ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन जांजगीर केशरी शिक्षण समिति द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 200 अकलतरा रोड, जांजगीर में स्थित यह शिक्षा महाविद्यालय रेल्वे स्टेशन से 1 कि.मी. और बस स्टेण्ड से 2 कि.मी. दूर है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक WRC/APW06312/723135/2015/142262 दिनांक 31.05.15 के अनुक्रम में संचालित ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जांजगीर अशासकीय स्वरूप में एक स्ववित्तपोषी महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य की शालेय शिक्षा के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक तथा शिक्षक तथा शिक्षा में उत्कृष्टता स्थापित करने के संकल्प के साथ इस महाविद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस महाविद्यालय को शासकीय निर्देश जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर तथा संचालनालय, उच्च शिक्षा, विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर से प्राप्त होते हैं, वही अकादमिक व बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम संचालन संबंधी निर्देश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिमी समिति, श्यामला हिल्स, भोपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त होते हैं। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र की इन शीर्षस्थ संस्थाओं से यह महाविद्यालय मान्यता प्राप्त है।

महाविद्यालय की विशेषताएँ

शैक्षणिक सत्र -

* महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रति वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। 30 अप्रैल को सत्रावसान होता है।
* विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार सत्र का प्रारंभ एवं समापन सुनिश्चित किया जाता है।

स्थापना के उद्देश्य -

1. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में बी.एड. प्रशिक्षण का संचालन करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिए सुयोग्य अध्यापक तैयार करना।
3. शिक्षकों को अध्यापन की अद्यतन विधियों एवं तकनीकों से परिचित कराना।
4. उत्तम गुणों से युक्त शिक्षक-शिक्षा प्रदान करना।
5. शिक्षक, शिक्षा से संबंधित कार्यों का उत्तरदायित्वपूर्वक निर्वहन करना।
6. स्वयं को एक स्वस्थ एवं विकसित महाविद्यालय के रूप में तैयार करना।

महाविद्यालय का भवन -

1. महाविद्यालय का भवन जांजगीर नगर के मध्य में राजमार्ग पर स्थित है।
2. भवन के सामने विशाल प्रांगण है।
3. कमरों में पर्याप्त फर्नीचर व्यवस्था है।
4. कमरों में हवा और प्रकाश की पर्याप्तता है।
5. भवन में पर्याप्त शौचालय हैं।

अध्यक्ष की ओर से ....

सुख:दुःख, जय-पराजय, मान-अपमान, हर्ष-विषाद आदि जातिगत द्वन्दों से ऊपर उठाकर स्थित पज्ञ होने का नाम मुक्ति है जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है । यह भक्ति बिना ज्ञान के नहीं मिलती है, **'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'** । ज्ञान भी वह जो सृजनात्मक हो देश और परिवेश के अनुकूल हो, राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो, धर्म और मानवता की वास्तविक अवधारणा का पोषक हो, ऐसा ज्ञान ही सार्थक और अभीष्ट होता है । आज इक्कीसवीं सदी में हमारा देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण की चुनौतियों का डट कर सामना कर रहा है । आज हमारा भारत उद्योग, विज्ञान और टेक्नालॉजी आदि के क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्रों के साथ प्रथम पंक्ति में सिर ऊंचा करके खड़ा है । विकास की यह स्त्रोतस्विनी इसी तरह निरंतर प्रवाहमान रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी नयी पीढ़ी को ज्ञान-विज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों एवं संस्कारों से दीक्षित करें ताकि ऊँच-नीच के भेदभाव रहित समतामूलक समाज रचने में वे अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें । यह तभी संभव होगा जब कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा छात्रों को उत्तम शिक्षा दी जाय ।

इस उद्देश्य की पूर्ति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निर्देशन में देश की शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के आधारभूत संरचनात्मक ढाँचा को अधुनातन तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही उनकी संख्या एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि भी की जा रही है । पूरे देश में शिक्षा महाविद्यालय स्ववित्तपोषी स्वरूप में निजी संस्थाओं के रूप में खोले जा रहे हैं ताकि देश व प्रदेश में प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग व पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके ।

इस विवरणिका में ज्ञानोदय कालेज ऑफ एजुकेशन जांजगीर के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ दी गयी हैं । इससे बी.एड. में प्रवेश पाने के इच्छुक आवेदक इस महाविद्यालय के विषय में जानकर आश्वस्त हो सकेंगे । यह महाविद्यालय राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण बी.एड. प्रशिक्षण देने हेतु कृतसंकल्प है । मेरा मानना है कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थी दक्ष और योग्य अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे ।

आई.पी. यादव
अध्यक्ष
केशरी शिक्षण समिति, जांजगीर
जिला : जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

छात्रवृति -

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति का प्रावधान है ।

प्रवंध एवं प्रशासन समिति -

* यह महाविद्यालय केशरी शिक्षण समिति जांजगीर पंजी.क्र. बि.सं. - 1600 दिनांक 10.01.97 के द्वारा संचालित है । इस महाविद्यालय के प्रबंध नियंत्रण एवं संचालन का उत्तरदायित्व महाविद्यालय की प्रशासन समिति को होगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण नियम -

* किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे । इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में न्यूनतम् 55% प्राप्तांक पात्रता के लिए आवश्यक होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को बी.एड. प्रवेश के नियम के अनुसार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट का प्रावधान होगा । स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक होने पर ही पात्रता होगी ।
* बी.एड. (दो वर्षीय) प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता सामान्यतः सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्राप्तांकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है । उम्मीद्वार के स्नातक उपाधि के विषयों में कम से कम दो विषय ऐसे होने चाहिए जिन्हें शाला स्तर पर पढ़ाया जाता हो ।
* यदि आवश्यक हुआ तो भारत शासन/राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग आदि विशेष वर्ग के लिए नियमानुसार प्राप्तांकों में छूट दी जावेगी ।
* छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमानुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगों/महिलाओं आदि विशेष वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ।
* बी.एड. में प्रवेश का आधार प्री.बी.एड. के प्राप्तांकों का प्रवीणता क्रम होगा । इस संबंध में राज्य शासन/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित मानकों/निर्देशों का पालन किया जावेगा ।
* बी.एड. प्रशिक्षण अवधि में किसी विवाहित महिला प्रशिक्षार्थी को मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं होगी अतएव बी.एड. में प्रवेश लेने के पूर्व महिला प्रवेशार्थी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जुलाई से अप्रैल की अवधि में मातृत्व अवकाश की आवश्यकता नहीं होगी ।
* बी.एड. प्रशिक्षण की अवधि में मातृत्व अवकाश पर जाने वाली महिला का प्रवेश निरस्त किया जावेगा । गर्भवती महिला को बी.एड. में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।
* बी.एड. प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही प्रवेशार्थी का बी.एड. प्रवेश सुनिश्चित होगा । बी.एड. प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षार्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहते हों तो वह ऐसा कर सकता है परन्तु उसका शुल्क वापस नहीं होगा ।

प्रवेश नियम (Admission Rules)

* महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन-पत्र भरकर देना होगा । आवेदन-पत्र एवं महाविद्यालय विवरण पत्रिका महाविद्यालय कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेंगे ।
* आवेदन-पत्र छात्राध्यापक एवं पालक के हस्ताक्षर सहित जमा करना अनिवार्य है ।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सत्यापित/स्व प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है -

निम्नांकित की तीन प्रतियों में प्रमाणित प्रतियां एवं तीन वर्तमान रंगीन फोटो संलग्न करें ।

1. स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण-पत्र मूल प्रति ।
2. स्नातक परीक्षा की अंक सूची (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना होगा ।
3. स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची ।
4. जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची ।

5. आरक्षित श्रेणी एवं संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र ।
6. छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र ।
7. निःशक्तता से बाधित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, संवर्ग से संबंधत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
8. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथ-पत्र ।
9. चरित्र प्रमाण-पत्र मूल प्रति में ।
10. पासपोर्ट आकार के वर्तमान की 3 छायाचित्र ।
11. सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों के 3 सेट लाना आवश्यक है ।
12. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) - विश्वविद्यालय परिसीमा के बाहर से आये तथा स्वायत्त शासी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी ।
13. इंटरनेट से महाविद्यालय का सीट आबंटन पत्र की प्रति ।
14. छ.ग. के बाहर के वि.वि./मण्डल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राएं बिलासपुर वि.वि. से प्रवेश पूर्व पात्रता आवश्यक रूप से बनायेंगे ।
15. गेप प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार) मूल प्रति ।
16. विवाहित महिलाएं कु. से श्रीमती होने का शपथ मूल प्रति ।

नोट -

1. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश वास्तविकता ज्ञात होते ही निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसका दायित्व छात्राध्यापक पर होगा । ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी ।
2. उपयुक्त प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा ।
3. छात्राध्यापक का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रत्याशियों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अपात्र घोषित कर सकते हैं ।
4. महाविद्यालय का शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र का प्रवेश स्थायी समझा जावेगा । महाविद्यालय को यह अधिकारी होगा कि विवाद की स्थिति में बिना कारण बताये छात्राध्यापक को प्रवेश से वंचित कर दें या प्रवेश ही रद्द कर दें ।
5. जिस प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे एक प्रवेश पत्र/परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा । इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए ।
6. आवेदन-पत्र में छात्राध्यापक का नाम सही होना चाहिए जो उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण-पत्र या अंकसूची में अंकित हो।
7. नाम परिवर्तन के इच्छुक महिला/पुरुष छात्राध्यापक को 10 रू. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प में प्रवेश श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ-पत्र देकर उसे नत्थी करना होगा ।
8. छात्राध्यापक द्वारा आवेदन-पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है ।
9. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन महाविद्यालयीन गणवेश में आना अनिवार्य है । इस महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ शासन शालेय शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित प्रवेश के मार्गदर्शक नियमों का पालन किया जाता है ।

उपस्थिति एवं अवकाश -

1. छात्रों की उपस्थिति प्रत्येक विषय की कक्षा में नियमित रूप से होनी चाहिए । जिन छात्रों की उपस्थिति किसी एक भी विषय या प्रश्न-पत्र में 75% से कम होगी, उन्हें विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा ।
2. उपस्थिति प्रत्येक कालखण्ड में ली जाती है । जो विद्यार्थी किसी संतोषजनक कारण से अनुपस्थित रहता है उनके संबंध में प्राचार्य को लिखित सूचना देनी होगी ।
3. बिना पूर्व सूचना एवं पर्याप्त कारण के लगातार एक सप्ताह अनुपस्थित रहने पर महाविद्यालय नें नाम निरस्त कर दिया जायेगा ।

6. भवन में स्वयं की जल एवं विद्युत व्यवस्था है ।
7. विज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला एवं शैक्षिक तकनीकी प्रयोगशाला की व्यवस्था है ।
8. कार्यानुभव विषय के लिए पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था है ।

ग्रंथालय -

* महाविद्यालय में एक सम्पन्न ग्रंथालय है जिसमें पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमेत्तर पुस्तकों का संग्रह है । इसमें एक वाचनालय की व्यवस्था भी की गई है जहाँ छात्राध्यापकों के अध्ययन के लिए पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र एवं संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं ।

अध्यापन की आधुनिक विधियों एवं तकनीकों पर बल -

* महाविद्यालय में छात्राध्यापकों को अध्यापन की आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का अभ्यास कराया जाता है । कक्षाध्यापन में कम्प्यूटर, ओवर हेड प्रोजेक्टर एवं स्लाईड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है पेपर रीडिंग, परिचर्चा एवं परिसंवाद का समय-समय पर आयोजन किया जाता है । अध्यापन के लिए उपयुक्त सहायक सामग्रियों के निर्माण पर बल दिया जाता है ताकि छात्राध्यापक अपने अध्यापन में गुणवत्ता ला सकें ।

मूल्य एवं विकासपरक शिक्षा पर बल -

* बी.एड्. छात्राध्यापकों में मूल्य आधारित शिक्षा की सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा उनका समग्र व्यक्तित्व विकास हो सके, इसे ध्यान में रखकर संध्या काल में सामूहिक प्रार्थना, प्रत्येक छात्राध्यापक को सूक्ति या सद्वाक्य सुनाना, योग शिक्षा, पी.टी. करना, मार्च पास्ट करना, वनभोज एवं ग्रामीण शिविर में सहभागिता जैसे कार्यों का सम्पादन अनिवार्य किया गया है ।

महाविद्यालय का गणवेश -

* महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों की अपनी पहचान हो उसमें समतापूर्ण सहअस्तित्व के प्रति समादर हो इस दृष्टि से महाविद्यालय का सामूहिक गणवेश निर्धारित किया गया है ।

अतिथि/विशेषज्ञ वक्ताओं के व्याख्यान -

* शैक्षिक प्रशिक्षण को गुणवत्तापूर्ण एवं विकासपरक बनाने के लिए विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं के सम्भाषण आयोजन किये जाते हैं ।

पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमेत्तर सहगामी क्रियाओं का सुनियोजित आयोजन -

* राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रमेत्तर सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है । इसके लिए बी.एड्. क्रियाकलापों के समयबद्ध क्रियान्वयन का चार्ट बनाया गया है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं ।

क्रीड़ा एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था -

* महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें हैं । इन्डोर क्रीड़ाओं में बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, शतरंज, केरम की सुविधाएँ हैं । आउटडोर क्रीड़ाओं जैसे दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, तवा फेंक, खो-खो आदि के लिए शिक्षा महाविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं ।

11. छात्राध्यापक को ग्रंथ प्राप्त करते समय पृष्ठों को जांच कर लेना उचित होगा, क्योंकि ग्रंथ वापस करते समय पाई गई त्रुटियों का उत्तरदायित्व पुस्तक प्राप्त करने वाले छात्र पर होगा । किसी भी पृष्ठ के न होने की सूचना छात्र द्वारा ग्रंथपाल को तुरंत दे देनी चाहिए अन्यथा इसकी जिम्मेदारी पाठक की होगी ।

12. संदर्भ-ग्रंथ एवं पत्र-पत्रिकाएँ ग्रंथपाल के अध्ययनकक्ष में पढ़ी जा सकती हैं । बाहर ले जाने या खो जाने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व संबंधित छात्राध्यापक पर होगा तथा आर्थिक दण्ड देना होगा । पत्रिकाओं की प्रतियाँ एक समय में एक ही प्राप्त हो सकती हैं । पत्र-पत्रिकाओं को फाड़ना सर्वथा वर्जित है । उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड दिया जावेगा ।

13. ग्रंथपाल आवश्यकता पड़ने पर पुस्तक को नियमित समय से पूर्व भी वापस मंगा सकते हैं ।

14. बिना अनुमति के किसी भी आलमारी से पुस्तक निकालना निषिद्ध है ।

15. वाचनालय-ग्रंथालय में ही वाचनालय की व्यवस्था है । छात्रों के मानसिक विकास के लिए समाचार-पत्र व अन्य पत्र-पत्रिकाएँ वाचनालय में उपलब्ध रहती हैं, जिन्हें अवकाश के समय छात्र प्राप्त कर अध्ययन कर सकता है । जो छात्र वाचनालय में आता है उसका यह कर्त्तव्य है कि वह व्यर्थ का शोरगुल न करे उसका यह दायित्व है कि वह देखे कि उससे वहाँ उपस्थित अध्ययनशील छात्रों को कोई कठिनाई न हो ।

शुल्क नियम :

1. समस्त शुल्क प्रारंभ में देय होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त होगा ।
2. परीक्षा शुल्क, पात्रता शुल्क, नामांकन शुल्क, प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क, विश्वविद्यालयीन शुल्क, प्रवेश आवेदन शुल्क एवं उपनाम परिवर्तन शुल्क आदि राशि अलग से देय होगा ।

अनुशासन -

* महाविद्यालय अनुशासन से तात्पर्य ऐसे आंतरिक तथा बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करे । इसका तात्पर्य है - कार्यों को करने की व्यवस्था एवं क्रमबद्धता, नियमों तथा आज्ञाओं का पालन । अनुशासन वह है जिसका विकास शनैः-शनैः आत्मनियंत्रण एवं सहयोग की आदत डालने के फलस्वरूप होता है जिसकी आवश्यकता एवं मूल्य को छात्र स्वयं स्वीकार करें । सच्चे अनुशासन का अर्थ तो आत्म नियंत्रण है यह ऐसा स्वभाव है जो संस्था के बाहर तक छोड़ने के बाद भी दिखाई पड़े ।

* अनुशासन की स्थापना में महाविद्यालय के नियमों एवं परम्पराओं का बड़ा स्थान है । सामाजिक हित के लिए बलिदान करना आवश्यक होता है, नियमों के अनुसार संस्था में कार्य करने की आदत डालने से भावी जीवन में नियमित रूप से कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

* अतः महाविद्यालय के नियमों का पालन करना विशेषकर प्रत्येक छात्राध्यापक का कर्त्तव्य है क्योंकि वह स्वयं प्रशिक्षित अध्यापक बनकर राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करता है । इस महाविद्यालय की एक परम्परा है । छात्राध्यापक उससे परिचित हों और उस परम्परा निर्माण में सहयोग दें । वस्तुतः महाविद्यालय अनुशासन स्वस्थ परम्परा का ही विषय है । छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हीं छोटे-छोटे नियमों का पालन कर महाविद्यालय के उन्नयन, सम्मान एवं गौरव की वृद्धि में सहयोग दें । इससे वे अपने बाद में आने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए स्वस्थ एवं मानक परम्परा छोड सकेंगे ।

* अगर कोई छात्राध्यापक महाविद्यालय के अनुशासन को भंग करेंगे तो स्थानांतरण-पत्र दे दिया जावेगा । गंभीर अनुशासनहीनता या आचरण संबंधी त्रुटि होने पर उसे निष्कासित करने का भी प्राचार्य को अधिकार है ।
प्राचार्य को अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिए मना कर दें और इस विषय में किसी भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी व्यक्ति हो नहीं होगा ।

ग्रंथालय -

छात्रों के बौद्धिक विकास एवं अध्ययन सुविधा हेतु महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय हैं । पुस्तकों का उपयोग निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत संभव हो सकेगा । ग्रंथालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए ग्रंथपाल उत्तरदायी होंगे । उनकी सहायता के लिए ग्रंथालय समिति होगी ।

1. रविवार एवं अन्य सामाजिक अवकाश के दिन ग्रंथालय बंद रहेगा । ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त अन्य दीर्घावकाश में ग्रंथालय उसी समय निर्देश किये गये दिनों एवं समयों में खुला रहेगा ।
2. ग्रंथालय में लगभग पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें निम्नलिखित 4 उपांगों में वर्गीकृत किया गया है -
   (अ) संदर्भ ग्रंथ
   (ब) पाठ्यक्रम से संबंधित ग्रंथ
   (स) सामान्य एवं विविध ग्रंथ
   (द) पत्र-पत्रिकाएँ

ग्रंथालय के नियम -

1. छात्राध्यापकों को पुस्तक प्राप्त करने हेतु ग्रंथालय में अपना नाम पंजीयन कराना आवश्यक है । इसके लिए वे महाविद्यालय का प्रवेश-पत्र, परिचय पत्र एवं पासपोर्ट साइज के दो फोटो प्रस्तुत करेंगे ।
2. ग्रंथालय द्वारा समय-समय पर ज्ञापित सूचनाओं के आधार पर ग्रंथ प्राप्त करने की तिथि एवं समय निर्दिष्ट किया जावेगा ।
3. प्रत्येक पाठक को दो पुस्तकें 7 दिनों के लिए निर्गमित की जावेगी । 7 दिनों के पश्चात् नवीनीकरण कराया अनिवार्य होगा । आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं पुस्तकों को पुन: निर्गम करा सकते हैं, यदि किसी अन्य पाठक ने उसकी मांग न की हो । कोई पुस्तक एक पाठक को अधिक से अधिक दो बार दी जा सकती है ।
4. प्रत्येक पाठक को एक साथ दो पुस्तकें उपलब्ध होंगी । एक पाठ्यक्रम से संबंधित तथा दूसरा सामान्य ग्रंथ ।
5. कार्ड खोने की दशा में पाठक को चाहिए कि तुरंत ग्रंथपाल को सूचित करें, अन्यथा पुस्तकालय किसी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

टिप्पणी

दूसरा कार्ड 50/- रूपये जमा करने पर 2 दिन पश्चात् प्राप्त हो सकेगा ।

6. सदस्यता समाप्ति की दशा मे कार्डों को पुस्तकालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा रूपये 50/- प्रतिकार्ड जमा करना होगा । सदस्यता की अवधि एक अकादमिक सत्र के लिए होगा । पुस्तक किसी भी छात्राध्यापक एवं व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी । ग्रंथ की सुरक्षा का दायित्व ग्रंथ ले जाने वाले छात्र पर होगा ।
7. निर्धारित तिथि में वापस न करने पर 5/- प्रति पुस्तक प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा ।
8. पुस्तक छात्राध्यापक स्वयं वापस करें । किसी अन्य के द्वारा वापस करना अमान्य होगा । निर्धारित तिथि को यदि अवकाश है तो दूसरे निर्धारित दिन वापस हो सकेगा ।
9. ग्रंथ खो जाने पर या क्षतिग्रस्त हो जाने पर छात्र को उस ग्रंथ की नई प्रति देनी होगी । अनुपलब्ध ग्रंथ का ढाई गुना मूल्य एवं प्रासंगिक व्यय की राशि 100/- रू. जमाकरना होगा । किसी संदर्भ-ग्रंथ के क्षतिग्रस्त होने या खण्ड विशेष के खो जाने पर सम्पूर्ण खण्ड ग्रंथालय में प्रस्तुत करना होगा ।
10. ग्रंथ के पृष्ठ को मोड़ना, रेखांकित करना निषिद्ध है । यदि ऐसा है, तो पुस्तक प्राप्त करते समय इन तथ्यों की सूचना ग्रंथपाल को देना आवश्यक होगा ।

Two Years B.Ed. Course

SCHEME OF EVALUATION

B.Ed. - I[st] Year

Subjects	Course	INTERNAL MAX	INTERNAL MIN	EXTERNAL MAX	EXTERNAL MIN	TOTAL MAX	TOTAL MIN
Childhood and Growing Up	001	20	09	80	27	100	36
Contemporary Indian Society Education	002	20	09	80	27	100	36
Perspectives in Education	003	20	09	80	27	100	36
Language, Society and Education	004	10	05	40	13	50	18
Pedagogy of Subject Areas (Choose one option)		20	09	80	27	100	36
Pedagogy of Language - Hindi (I)	005.1						
Pedagogy of Language - English (I)	005.2						
Pedagogy of Language - Sanskrit (I)	005.3						
Pedagogy of - Mathematics (I)	005.4						
Pedagogy of - Science (I)	005.5						
Pedagogy of Social Science (I)	005.6						
Language Proficiency (Hindi) or	006.1	20	09	80	27	100	36
Language Proficiency (English)							
Weekly, test		20	09	-	-	20	
Terminal test		30	14	-	-	30	
		TOTAL				600	

PART II

Teacher Enrichment	Course	INTERNAL MAX	INTERNAL MIN	EXTERNAL MAX	EXTERNAL MIN	TOTAL MAX	TOTAL MIN
Self Identity and the Teacher, Art and drama in Education	007.1	40	20	40	20	80	40
Health & Well being (through Yoga) & Other physical Activities)	007.2	20	10	-	-	20	10
			TOTAL			100	

PART III

Engagement With the field & Internship School Experience Community Work	008.1	Principal	20	10	—	—	20	10
		Mentor	40	20	—	—	40	20
		External	—	—	40	20	40	20
					TOTAL 100		GRAND TOTAL - 800	

Note :- 1. Conducted in workshop mode and activities with plenty of Practical assignment.

2. Engagement With the field : Task and assignment for courses All Theory Paper.

Two Years B.Ed. Course

SCHEME OF EVALUATION

B.Ed. - 2nd Year

Subjects	Course	MARKS				TOTAL	
		Internal		External			
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Learning & Teaching	009	20	09	80	27	100	36
Gender, School & Society	010	20	09	80	27	100	36
Curriculum & Knowledge	011	20	09	80	27	100	36
Assessment For Learning	012	10	05	40	13	50	18
School Culture, Management & Teacher	013	10	05	40	13	50	18
Pedagogy of Subject Areas(Choose one option)		20	09	80	27	100	36
Pedagogy of Language - Hindi (II)	0.14.1						
Pedagogy of Language - English (II)	0.14.2						
Pedagogy of Language - Sanskrit (II)	0.14.3						
Pedagogy of- Mathematics (II)	0.14.4						
Pedagogy of- Science (II)	0.14.5						
Pedagogy of- Social Science (II)	0.14.6						
Weekly Test &		-	-	-	-	20	09
Terminal Test		-	-	-	-	30	14
TOTAL MARKS						**550**	

PART II

Subjects	Course	Internal MAX	Internal MIN	External MAX	External MIN	Total MAX	Total MIN
Teacher Enrichment, Self, Identity and the Teacher	015.1	20	10	20	10	40	20
Enriching Learning through ICT	015.2	20	10	20	10	40	20
Exploring Library and other, Learning Recourses	015.3	20	10	-	-	20	10
TOTAL MARKS						**100**	

Subjects	Course		Internal MAX	Internal MIN	External MAX	External MIN	Total MAX	Total MIN
PART III Engagement with the Held & Internship School Internship	016	Principal	100	50	-	-	100	50
		Mentor	150	75	-	-	150	75
		External	-	-	100	50	100	50
TOTAL MARKS							**350**	
TOTAL MARKS OF 2ND YEAR							**1000**	
GRAND TOTAL MARKS FIRST + SECOND YEAR			**800 + 1000 = 1800**					

Note :- 1. Conducted in workshop mode and activities with plenty of Practical assignment
2. Engagement With the field : Task and assignment for courses All theory Paper

परिनियम -

विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों के परिसर में रैगिंग की प्रथा रोकने के लिए विशेष परिनियम -

1. यह विशेष परिनियम विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिए स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबंद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिए लागू होंगे । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिए यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा -
   1. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुँचाना, चाँटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।
   2. मानसिक आघात जैसे मानसिक क्लेश पहुँचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना आदि ।
   3. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना ।
   4. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे - हुल्लड़ मचाना, चीखना चिल्लाना आदि ।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालयों और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इस बोर्ड में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्यके रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे । इस हेतु प्राक्टोरियल विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम् प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जावेगी । वह वरिष्ठतम् प्राध्यापक मुख्य प्राक्टर कहलायेंगे ।
5. प्राक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को देगा ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्राध्यापक को निम्नानुसार दण्ड दिया जा सकेगा -
   1. महाविद्यालय में प्रशिक्षण से वंचित करना ।
   2. दोषी छात्राध्यापक को दण्ड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   3. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत जांच संस्थित क र न ' का पूर्ण अधिकार होगा और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   4. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं क र सकेगा ।

चेक-लिस्ट

बी.एड. में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची

सं.क्र.	संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का विवरण	मूल प्रति	फोटोकापी
1.	अस्थायी सीट कॉलेज आवंटन पत्र मूल एवं सत्यापित/स्वप्रमाणित प्रति	1	3
2.	छ.ग. के बाहर वि.वि./मण्डल से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पात्रता प्रमाण पत्र	1	1
3.	स्थानांतरण प्रमाण-पत्र मूल प्रति	1	1
4.	चरित्र प्रमाण पत्र मूल प्रति	1	1
5.	गेप शपथ प्रमाण-पत्र मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति	1	3
6.	प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र मूल एवं सत्यापित प्रति	1	3
7.	10वीं कक्षा की अंक सूची की सत्यापित प्रति		3
8.	12वीं कक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
9.	स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
10.	स्नातक द्वितीय वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
11.	स्नातक तृतीय वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
12.	स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
13.	स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंकसूची की सत्यापित प्रति		3
14.	कु. से श्रीमती नाम परिवर्तन की शपथ पत्र की सत्यापित प्रति		3
15.	रंगीन पासपोर्ट फोटो		3
16.	निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति		3
17.	जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति		3
18.	महाविद्यालय का प्रवेश आवेदन पत्र	1	
19.	विद्यार्थी परिचय पत्र (आधार कार्ड)		3

प्राप्तकर्ता

ज्ञानोदय कॉलेज ऑफ एजुकेशन
जांजगीर (छ.ग.)

(बी.एड. में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र - प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष)

वर्तमान का रंगीन फोटो चस्पा करें

प्रवेश क्रमांक [| | |]   दिनांक   /   /

(1) पूरा नाम : (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में) [| | | | | | | | | | | | | | | | | |]

(2) जन्मतिथि : .... (3) विवाहित/अविवाहित : ....

(4) अंतिम उपाधि उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम - ....

(5) वर्ग : सामान्य/अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग/विशेष-विकलांग/विधवा/सैनिक पाल्य/स्वतंत्रता सेनानी/अन्य

(6) पिता/पति का नाम : ....

(7) पिता/पति का व्यवसाय : .... (8) राष्ट्रीयता : .... (9) मातृभाषा : ....

(10) माता का नाम : श्रीमती ....

(11) स्थानीय पता (फोन नं. सहित) : ....

....

(12) स्थायी पता (फोन नं. सहित) : ....

....

(13) अंतिम परीक्षा किस विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है : ....

(14) नियमित छात्र रहे हैं तो नामांकन क्र. ....

यदि नहीं तो अंतिम उपाधि उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम - ....

प्रवजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति दो फोटोकापी के साथ संलग्न करें ।

(15) शैक्षणिक अर्हता :

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (विषय समूह)	वर्ष	मण्डल का नाम	अंकों का विवरण			
				प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	दसवीं (हाईस्कूल)						
2.	बारहवीं (हॉयर सेकेण्डरी)						

सं. क्र.	उपाधि	विषय (स्नातक स्तर पर तीन विषय)	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
3.	बी.ए./ बी.एस.सी./ स्नातक बी.कॉम. बी.एच.एस.सी.	आधार पाठ्यक्रम विषय 1. .... 2. .... 3. .... मुख्य विषय 1. .... 2. .... 3.						
4.	एम.ए./एम.एस-सी. एम.कॉम. एम.एच.एस.सी.							
5.	बी.एड. प्रथम वर्ष							

(16) महाविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि, सत्र ....

(17) विषयों का चयन

प्रथम वर्ष हेतु	पश्चम प्रश्न पत्र का विषय	-	विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/गणित/हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी (कोई एक)
	षष्ठम् प्रश्न पत्र का विषय	-	हिन्दी/अंग्रेजी (कोई एक)
द्वितीय वर्ष हेतु	षष्ठम् प्रश्न पत्र का विषय	-	विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/गणित/हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी (कोई एक)

हस्ताक्षर छात्राध्यापक

प्रशिक्षार्थी द्वारा घोषणा

1. महाविद्यालय में प्रवेश लेते ही कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहूंगा/रहूंगी ।
2. प्रत्येक विषय की कक्षा में कम से कम 200 दिवस उपस्थित अनिवार्य है । यदि इससे न्यून उपस्थिति हुई तो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जावे ।
3. बिना पूर्व सूचना एवं पर्याप्त कारणों के लगातार तीन दिन की अनुपस्थिति होने पर महाविद्यालय से नाम खारिज कर दिया जावे ।
4. सभी प्रदर्शपाठों के अवलोकन एवं उसकी समीक्षा की कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा महाविद्यालय से नाम खारिज कर दिया जावे ।
5. मैं प्रतिदिन महाविद्यालय में गणवेश में उपस्थित होऊंगा/होऊंगी । मुझे यह ज्ञात है कि बगैर गणवेश परिसर में प्रवेश वर्जित है ।

मैंने उक्त सभी घोषणाओं को भली-भाँति पढ़ और समझ लिया है । मैं उनके पालन के लिए वचनबद्ध हूँ । मैं उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करूंगा/करूंगी और नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन कक्षाओं में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी । मैं अपने आचरण एवं व्यवहार में किसी के प्रति कठोर नहीं रहूंगा/रहूंगी ।

हस्ताक्षर छात्राध्यापक

अभिभावक/संरक्षक की घोषणा

मैं अपने पाल्य प्रशिक्षार्थी के अध्ययन, व्यवहार, नियमित उपस्थिति एवं सद्व्यवहार का संपूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने का वचन देता हूँ । मैं महाविद्यालय के नियमों एवं विधानों के प्रति अपनी आबद्धता व्यक्त करता हूँ । यदि मेरे पाल्य को अध्ययन की अवधि में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष क्षति यदि होती है तो इस हेतु मैं किसी प्रकार का दावा या क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकूंगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रवेश क्र. .... रसीद क्रमांक ....

प्रवेश दिनांक .... राशि ....

पुराना हो तो नामांकन क्रमांक ....

प्राचार्य का आदेश

उक्त छात्र/छात्रा को बी.एड. में प्रवेश दिया/नहीं दिया जाता है ।

दिनांक .... *प्राचार्य*

ग्रंथालय

शैक्षिक तकनीकी कक्ष

सांस्कृतिक कार्यक्रम

हस्तकला प्रशिक्षण

संगीत समारोह

वनभोज एवं ग्रामीण शिविर कार्यक्रम

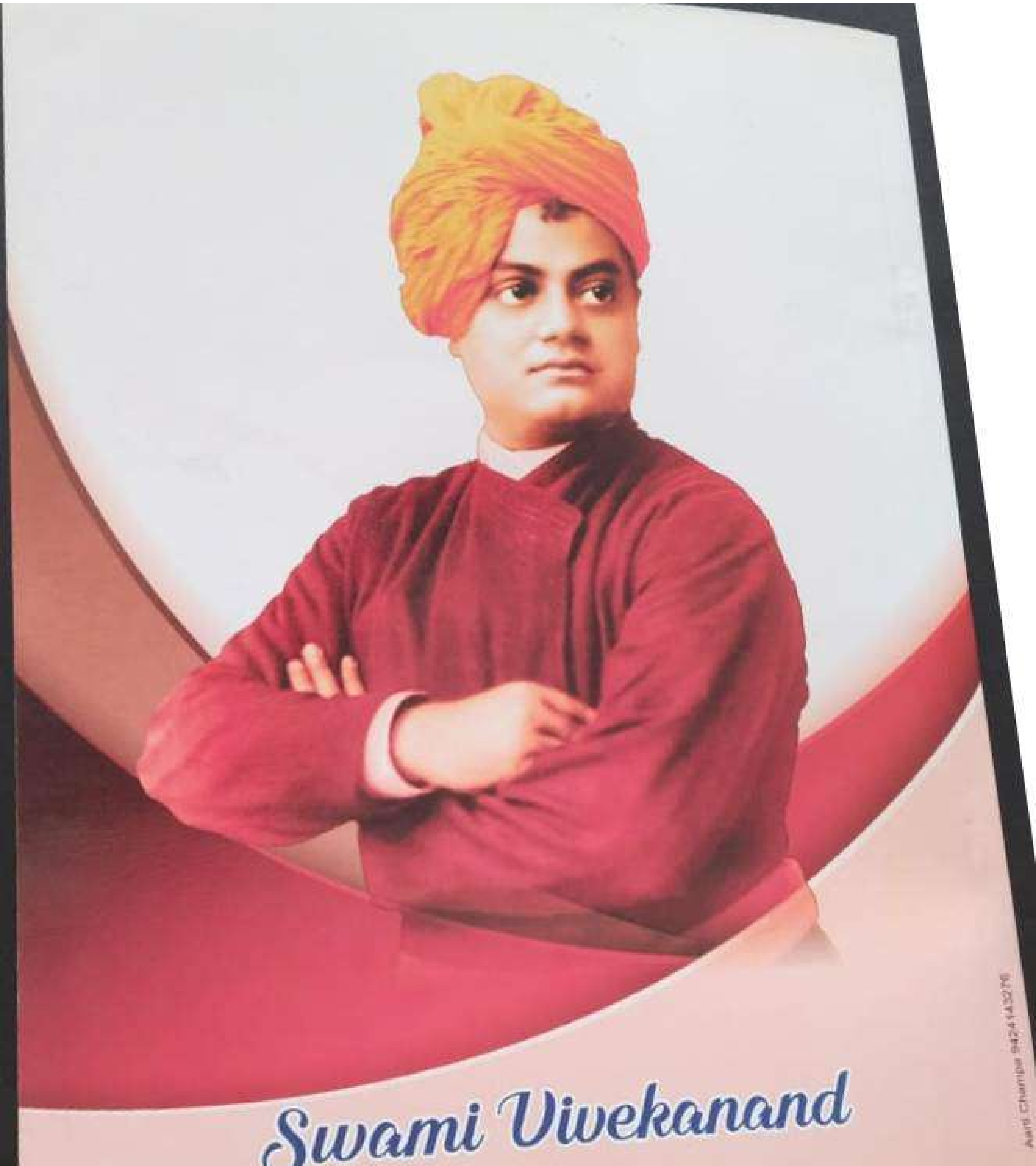
Swami Vivekanand